न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :बी. एल. कोठारी, आई.ए.एस

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 73 / 2016

अपीलान्ट	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
ममता देवडा धर्मपत्नी रिषीराज सिंह निवासी–साकदडा, तहसील व जिला पाली।		1. छैलकंवर पत्नी गजेन्द्रसिंह पुत्री दलपत सिंह निवासी–गलथनी तहसील सुमेरपुर 2. श्रीमती अनिल कंवर पत्नी नरेन्द्रसिंह पुत्री दलपत सिंह निवासी–भानपुरा जिला उदयपुर। 3. शकुन्तला कंवर पत्नी बक्तावर सिंह पुत्री दलपत सिंह निवासी–नोसरा तहसील आहोर। 4. पवन कंवर पत्नी पुत्री दलपत सिंह निवासी–साकदडा तहसील पाली। 5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 11.02.2016 जो जिला कलक्टर पाली ने राजस्व अपील संख्या 18 / 2013 छैलकंवर वगैराह बनाम पवन कंवर वगैरा में पारित किया

उपस्थितिः––

1. श्री दशरथ सिंह, अधिवक्ता अपीलार्थीया की ओर से उपस्थित।
2. श्री अनोपसिंह सोलंकी, अधिवक्ता रेस्पो0 सं 1 ता 4 की ओर से उपस्थित।
3. श्री ओमप्रकाश चौधरी, राज0 अधिवक्ता रेस्पो0 सं 5 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक जुलाई,2019

1. अपीलार्थीया की ओर से यह द्वितीय राजस्व अपील विद्वान जिला कलक्टर पाली के द्वारा राजस्व अपील संख्या 18 / 2013 अनवान छैलकंवर वगैराह बनाम पवन कंवर वगैराह में दिनांक 11.02.2016 को पारित किये गये अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिभाषकों की बहस सुनी। दौरान सुनवाई अपीलार्थीया के अधिवक्ता द्वारा अपील मिमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 के द्वारा रेस्पो0 संख्या 4 एवं अपीलान्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रथम अपील प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन नामा0 संख्या 310 दिनांक 5.10.2001 जो प्रभारी अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग, 2001 पंचायत समिति पाली के द्वारा स्वीकृत किया गया है उसमें मृतक खातेदार दलपतसिंह यानि रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 के पिता/पति है, के मृत्यु उपरान्त उनकी पत्नी पवन कंवर के नाम से ही स्वीकृत किया है। जबकि नामा0 स्वीकृति के समय रेस्पो0 संख्या एक के अतिरक्त वे भी रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 मृतक खातदोर दलपतसिंह की जायन्दा पुत्रियों के रूप में उनकी वारिसान है। ऐसे में उनका नाम भी राजस्व रेकर्ड में वारिसान के रूप में दर्ज किया जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर पाली के द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2016 के द्वारा रेस्पो0 संख्या एक ता तीन की अपील को स्वीकार करते हुए नामा0 संख्या 310 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार पाली को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये कि वे मृतक खातेदार दलपतसिंह के विधिक वारिसानों की जॉच करे तथा सम्बन्धित सभी पक्षों का सुनवाई का अवसर देते हुए बाद सुनवाई व जॉच के विधिसम्मत आदेश पारित करें।

3. अपीलार्थीया के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह भी कथन किया कि श्रीमती पवन कंवर को पैसों की आवश्यकता होने के कारण उक्त वादग्रस्त खसरान की सम्पूर्ण रकबा भूमि को उनके द्वारा मुझ अपीलान्ट को जरिये पंजीकृत बेचान दस्तावेज दिनांक 17.10.2011 को विक्रय कर दिया जिसके आधार पर अपीलान्ट ने अपने पक्ष में नामा0 संख्या 545 दिनांक 28.5.2012 को स्वीकृत करवा लिया एवं कब्जा प्राप्त कर लिया तब से आज वर्तमान तक वह खसरान भूमि पर काबिज काश्त चली आ रही है।

4. अपीलार्थीया के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह भी कथन किया कि उक्त भूमि के बेचान पश्चात रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 के द्वारा अपनी मॉ से दुरभि संधि करते हुए स्वीकृत हुए नामा0 संख्या 310 को निरस्त करवाने हेतु मुझ अपीलान्ट को बिना आवश्यक पक्षकार बनाये ही जिला कलेक्टर पाली के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी। उक्त प्रथम अपील विचाराधीन होने की जानकारी अपीलान्ट को होने पर उनके द्वारा प्रथम अपील में आवश्यक पक्षकार बनाये जाने हेतु आवेदन किया तब अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा उसे आवश्यक पक्षकार संस्थित किया।

5. अपीलार्थीया के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 के द्वारा मुझ अपीलान्ट के पक्ष में उनकी माता की ओर से पंजीकृत बेचान दस्तावेज विक्रय विलेख को किसी भी सक्षम न्यायालय में आज दिनांक तक कोई चुनौती नहीं दी गई है न ही उसके पक्ष में स्वीकृत हुए नामा0 सं0 545 को चुनौती दी गई है। नामान्तरकरण प्रक्रिया एक फिसकल प्रोसिडिंग्स

है जिससे पक्षकारान के हक–अधिकार निर्धारित नहीं हो सकते है। ऐसी स्थिति में रेस्पो0 संख्या 1 व 3 सक्षम न्यायालय के समक्ष नियमित वाद प्रस्तुत करते हुए अपने अधिकारों की घोषणा करवाते। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन नामा0 संख्या 310 को निरस्त करवाने हेतु लगभग 10 वर्ष पश्चात चुनौती पेश की गई।

6. अपीलार्थीया के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह भी कथन किया कि उक्त भूमि में अपीलार्थीा के सभी अधिकार वर्ष 2005 से पूर्व ही अभिनिर्धारित हो चुके थे। ऐसी परिस्थिति में वर्ष 2005 के 39 वे संशोधन का कोई भी भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय प्रकाश वगैराह बनाम फूलवती वगैराह 2016 (1)डब्लूएलसी (एससी) सिविल 30 में प्रतिपादित किया है परन्तु विद्वान जिला कलेक्टर महोदय ने इस तथ्य पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो अपास्त किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थीया की अपील को स्वीकार अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2016 को निरस्त किया जावे।

7. प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि रेस्पो0 के पिता स्व0 दलपतसिंह की खातेदारी की कृषि ग्राम साकदडा के खसरा संख्या 64/2 रकबा 33 व खसरा संख्या 333 रकबा 27 बीघा 9 बिस्वा कुल रकबा 60 बीघा 9 बिस्वा आई हुई है। श्री दलपतसिंह की मृत्यु उपरान्त उक्त खसरा भूमि का नामा0 संख्या 310 उनकी माता यानि पवनकंवर के नाम स्वीकृत किया गया जो विधि विरूद्ध था क्योंकि स्व0 दलपतसिंह के देहान्त उपरान्त उनकी वारिसान के रूप में उनकी पत्नी रेस्पो0 संख्या एक के अलावा उनके तीन पुत्रियां रेस्पो0 संख्या 1 व 2 व 3 भी ततसमय जीवित थी, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत वे मृतक खातेदार प्रथम श्रेणी की वारिसान थी जिनका नाम भी अपीलाधीन नामा0 संख्या 310 में इन्द्राज होकर स्वीकृत किया जाना चाहिये था।

8. मृतक दलपतसिंह के फौतेदगी नामा0 दर्ज करते समय उनके विधिक वारिसान की जॉच किये बिना ही अमल दरामद कर दिया गया है जो निरस्त करने योग्य था क्योंकि रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 को इस बाबत कोई सूचना नहीं दिया गया और न ही अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया, ऐसे में उक्त अपीलाधीन नामा0 संख्या 310 प्रारम्भ से ही शून्यता की श्रेणी में आता है।

9. रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि वर्तमान अपीलान्ट को रेस्पो0 संख्या 4 के हक–हिस्से तक की हिस्से वाली भूमि खरीद करने का अधिकार था, उससे अधिक खरीद की गई भूमि पर उनका विधि अनुसार कोई अधिकार नहीं बनता है और यदि उनके द्वारा रेस्पो0 संख्या 4 से भूमि खरीद भी ली गई है तो वह भी बिना अन्य वारिसानों की सहमति से बेचान की गई है जो कानूनन उचित नहीं ठहराई जा सकती है।

10. रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि हम रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 के द्वारा माननीय जिला न्यायाधीश पाली न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट ममता देवडा के पक्ष में हुए पंजीकृत बेचान दस्तावेज को निरस्त

करवाने हेतु एक दीवानी वाद संख्या 40/2016 छैलकंवर वगैराह बनाम ममता देवडा वगैराह भी पेश किया है जो वर्तमान में विचाराधीन है जिनकी प्रतियॉ अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

11. रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय पाली के द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 की प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.2.2016 के द्वारा प्रकरण तहसीलदार पाली को प्रतिप्रेषित करते हुए मृतक खातेदार दलपतसिंह के विधिक वारिसानों की जॉच कर सम्बन्धित पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए बाद सुनवाई व जॉच विधिसम्मत आदेश पारित करने के निर्देश दिये थे, जो पूर्ण रूप से एवं विधि अनुकूल पारित किया गया है जो यथावत बहाल रखे जाने योग्य है।

12. हमने दोनों पक्षों के द्वारा की गई बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। विद्वान जिला कलेक्टर पाली के द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 की प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए दिनांक 11.2.2016 के द्वारा यह आदेश दिया कि ''प्रकरण तहसीलदार पाली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि वे मृतक खातेदार दलपतसिंह के विधिक वारिसानों की जॉच करे तथा सम्बन्धित सभी पक्षों का सुनवाई का अवसर देते हुए बाद सुनवाई व जॉच के विधिसम्मत आदेश पारित करें।'' वो विधि अनुकूल उचित प्रतीत होता है क्यों कि विद्वान जिला कलेक्टर पाली के द्वारा प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए सभी प्रभावित पक्षों को सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश के जरिये नामा0 संख्या 310 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार पाली को पुनः नामा0 करने के आदेश पारित किये है जिसमें विधि की कोई त्रुटि होना नहीं पाया जाता है। ऐसे में अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

13. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2016 बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 11.07.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बी0एल0 कोठारी)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर